Territories Administrations, upto November, 1972, 27 prosecution cases, including one case in Delhi, were pending against Central Government employees for their activities in connection with the Central Government employees' strike of September, 1968. Government's policy in regard to the prosecution of such employees has always been to allow the law to take its course, and not to interfere with the normal course of justice. However, the State Governments and the Union Territories Administrations concerned have been requested from time to time to take necessary steps for expediting the proceedings and also to have a careful scrutiny of the pending prosecution cases made with a view to terminating the proceedings according to law in cases in which the evidence is not considered sufficient.

Departmental leave in P. & T. Department

5233. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether employees in the Posts and Telegraphs Department are sent on Departmental Leave under Supplementary Rule 276; and

(b) if so, the total number of employees sent on Departmental Leave during the years 1970 and 1971?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) In the P. & T. Department, only seasonal staff, i.e., those employed for a part of a year, are eligible for the grant of Departmental Leave.

(b) Nil.

भारतीय मानक संस्था में पदों का आरक्षण

5234. **श्री शिव शंकर प्रसाद यादव :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था पदों को आरक्षित करने के लिए गृह मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 1/3/63-एस० सी० टी० (1) दिनांक 21 दिसम्बर, 1968 के अनुसार, आरक्षण देने हेतु 40 प्वाइंट वाले माडल रोस्टर का पालन कर रही है; और

(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारतीय मानक संस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिए पदों के आरक्षित करने के लिए गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/11/69, व्यवस्था (एस० सी० टी०), दिनांक 22 अप्रैल, 1970 के अनुसार, जिसके द्वारा उक्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/3/63- एस० सी० टी (1), दिनांक 21 दिसम्बर, 1963 में निर्धारित रोस्टरों की संशोधित किया गया है, आरक्षण देने हेतु 40 प्वाइंट वाले मांडल रोस्टरों का पालन कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय मानक संस्था में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या

5235. **श्री शिवशंकर प्रसाद यादव :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीयमानक संस्था में निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद हैं और उनमें अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; (1) निदेशक, (2) उपनिदेशक, (3) सहायक निदेशक, (4) सहायक सचिव, (5) अनुभाग अधिकारी, (6) सहायक ;

(ख) यदि उक्त पदों पर काम कर रहे अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या उनके लिये आरक्षित कोटे के अनुसार कम है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कोटे की पूर्ति कैसे और कब तक की जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) भारतीय मानक संस्था में श्रेणीवार भरे गये कुल पदों की संख्या तथा उनमें प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी जाती है :—

क्रमांक	पदनाम	भरे गये पद	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या
1.	निदेशक	16	कोई नहीं
2.	उप निदेशक	78	कोई नहीं
3.	सहायक निदेशक	122	1
4.	अनुभाग अधिकारी	23	कोई नहीं
5.	सहायक सचिव	6	कोई नहीं
6.	सहायक	129	1

(ख) और (ग) :—भारतीय मानक संस्था ने विद्यमान आदेशों के अनुसार उन पदों का आरक्षण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए नहीं किया है तो गुणावगणों के आधार पर पूर्णतः चयनात्मक दृष्टि से भरे जाते हैं। क्रमांक संख्या (1) (2) (4) के पद तथा क्रमांक (5) के दो तिहाई पद इस प्रकार के चयन द्वारा भरे जाते हैं, अतएव उन श्रेणियों में पदों के आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता। चूंकि भारतीय मानक संस्था अनिवार्यतः एक तकनीकी संगठन है सहायक निदेशक के पद वैज्ञानिक तकनीकी/विशिष्ट पदों की कोटि में आते हैं तथा उनके लिये विभिन्न वैज्ञानिक/तकनीकी/विशिष्ट अर्हताएं विहित हैं। सहायक निदेशक का पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना आवश्यक है व जब भी इन पदों के विषय में भर्ती की गई है संस्था ने सदैव अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये इन पदों में सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण किया है किन्तु अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के विज्ञापित पदों के लिये प्राप्त आवेदन पत्र निरन्तर अति नगण्य रहे हैं। या तो उम्मीदवार थे ही नहीं अथवा एक दो थे जो विहित अर्हताएं नहीं रखते थे अथवा विशेषज्ञों की चयन समिति द्वारा ने चुने जा सके। अनुभाग अधिकारियों के एक तिहाई पदों के सम्बन्ध में जिन्हें समिति विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरा जाना आवश्यक है आरक्षण सदैव किए गये हैं। जहां तक सहायक के पदों का सम्बन्ध है जिन्हें वरिष्ठता के साथ योग्यता की शर्त के अधीन भरा जाना आवश्यक है उक्त दोनों बातों के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले इन पदों के लिये भारत सरकार ने अभी तक आरक्षण का विधान नहीं किया है। उपरोक्त पद्धति से भरे जाने वाले पदों के लिए हाल ही में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों द्वारा भरे जाने हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संस्थान, सहायकों के पदों के विषय में भी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों व अनसूचित जन जातियों के लिये आरक्षण कर रहा है।